

# संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

क्रमांक  
प्रति,

4050

/टीसी/133/सागर/उपां/नगानि/2022

भोपाल,दिनांक:- 4/8/2022

अपर सचिव,  
मध्य प्रदेश शासन,  
लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग,  
भोपाल म.प्र.

**विषय:-**

सागर विकास योजना, 2031 में मिश्रित उपांतरण बाबत। (ग्राम तिली माफी, वार्ड क्र. 05, तहसील सागर नगर जिला सागर का खसरा क्रमांक 147/1/1/1/2 रकबा 0.3115 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 147/1/1/1/1 रकबा 0.3000 हेक्टेयर कुल रकबा 0.6115 हेक्टेयर) (लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग)

**संदर्भ:-**

आपके कार्यालय का म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23 (क) (1) (क) के अधीन आवेदन पत्र क्रमांक 1202 दिनांक 05/08/2022 एवं इस संचालनालय का पत्र पृ. क्रमांक 3489 दिनांक 26/08/2022.

उपरोक्त विषय में लेख है कि संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल ने सागर विकास योजना 2031 में उपांतरण प्रस्तावित किया है। अतः साधिकार समिति की बैठक में दिये गये निर्देशों के परिपालन में संलग्न सूचना, सागर नगर में प्रचलित ऐसे एक दैनिक हिन्दी और एक अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें जो कि विज्ञापन के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार की अनुसूची में हो तथा सागर नगर में व्यापक परिचालन में हो।

तदनुसार कृपया उक्त सूचना यथाशीघ्र प्रकाशित कराकर समाचार पत्रों की कतरनों की मूल प्रतियाँ इस संचालनालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

**संलग्न :- यथोपरि**

(मुकेश चन्द्र गुप्ता)

वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल

भोपाल,दिनांक:- 4/8/2022

पृ. क्रमांक  
प्रतिलिपि:-

4051

/टीसी/133/सागर/उपां/नगानि/2022

- 1 प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 2 आयुक्त, संचालनालय जनसम्पर्क, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 3 संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, सागर की ओर लेख है कि, उक्त सूचना के प्रकाशित होने वाले दोनो समाचार पत्रों की मूल प्रतियाँ एवं निर्धारित समय सीमा में यदि कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त हो तो उसकी प्रति संचालनालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

**संलग्न :- यथोपरि।**

वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल

# संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016  
ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

## सूचना

क्रमांक 4050 /टीसी/133/सागर/उपां/नग्रानि/2022 भोपाल, - मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि, संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट सागर विकास योजना 2031 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

भोपाल, दिनांक:- 4/11/2022

क्रं	ग्राम/ तहसील एवं जिला	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )		विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपान्तरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
			कुल रकबा	उपांतरण हेतु प्रस्तावित रकबा		
1.	तिली माफी (वार्ड क्र. 05) तहसील सागर नगर जिला सागर	147/1/1 /1/2	0.3115	0.3115	वर्तमान आवासीय, वर्तमान सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, वर्तमान मार्ग	मिश्रित एवं 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
2.	जिला सागर	147/1/1 /1/1	0.3000	0.3000	वर्तमान आवासीय एवं वर्तमान मार्ग	मिश्रित एवं 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
कुल रकबा			0.6115	0.6115		

नोट:-

1. प्रश्नाधीन भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित सम्मुख तिल्ली माफी तिगड़ा से डीआईजी बंगला मार्ग की चौड़ाई 30.00 मीटर निर्दिष्ट है। अतः मार्ग विस्तार हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

शर्त :-

- 1 उक्त मिश्रित भूमि उपयोग परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियों हेतु आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग परिक्षेत्र में उल्लेखित समस्त गतिविधियों मान्य होगी।
- 2 उक्त मिश्रित गतिविधियों हेतु नियमन तथा विकास मानदण्ड म0प्र0 भूमि विकास नियम, 2012 एवं सागर विकास योजना, 2031 के प्रावधानुसार लागू होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय सागर तथा वेबसाईट [www.mptownplan.gov.in](http://www.mptownplan.gov.in) पर भी उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, सागर को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियाँ या सुझाव, जो उपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर विचार किया जाएगा।

  
(मुकेश चन्द्र गुप्ता)

वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

 म.प्र. भोपाल